



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।**

Phone/Fax No. :- 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक- 1752 /1सी0 (वन)

दिनांक 15/09/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर।

विषय- जनपद चमोली में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली किमोली मोटर मार्ग के अन्तर्गत नव निर्माण हेतु 2.200 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No- FP/UK/ROAD/62388/2020)

सन्दर्भ:- आपका ऑनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 30.7.2021
महोदय,

उपरोक्त विषय संदर्भित पत्र के अनुपालन में ग्वाड-डिडोली-रिखतोली-पारतोली-किमोली मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या आख्या निम्नवत है-

बिन्दु सं0	प्रश्न	उत्तर
1	प्रस्ताव के अवलोकन से यह पाया गया है कि प्रस्तावित समरेखण में पर्याप्त मात्रा में गैर-वन क्षेत्र भी सम्मिलित है। किन्तु समस्त 9 डम्पिंग क्षेत्र वन क्षेत्र में ही प्रस्तावित किये गये हैं। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि उनके द्वारा समरेखण अनुसार डम्पिंग क्षेत्र गैर-वन क्षेत्र में प्रस्तावित किये जायें तथा इन क्षेत्रों में विद्यमान वृक्षों की गणना पृथक से प्रस्तुत की जायें।	पूर्व में इस खण्ड द्वारा डम्पिंग क्षेत्र गैर वन क्षेत्र में बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था। परन्तु सम्बन्धित ग्रामीणों द्वारा विभाग को एन0ओ0सी0 नहीं दी गयी एवं नाप भूमि में प्रस्तावित किये जाने हेतु आपत्ति की गयी थी।। जिस कारण डम्पिंग क्षेत्र वन क्षेत्र में ही प्रस्तावित किया गया है। संलग्न 1- ग्रामीणों का आपत्ति पत्र।
2	As per the DSS analysis of the CA area. 1 ha area is found in MDF. DFO may inspect the area and submit Site Inspection Report or a certificate mentioning if 1000 tree per hectare can be accommodated or not. If not, then the plantation scheme as per guidelines dt. 08.11.2017 may be submitted. State Government may submit the DGPS map, shape file of the area selected for afforestation of balance seedlings which cannot be afforested in the civil soyam land identified of raising compensatory afforestation.	इस सम्बन्ध में दिनांक 13.8.2021 को आपके एवं वनक्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल का निरीक्षण किया गया। जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्त पाया गया। संलग्न 2- संयुक्त निरीक्षण आख्या मूल में।
3	It is seen that the area proposed for diversion of forest land is found uploaded in place of the area proposed for CA. State government may upload the CA area Maps at para 13 in Part-II.	पार्ट- II में अपलोड आपके स्तर से किया जाना है।
4	State government may upload separate tree enumeration list showing details of trees proposed to be affected in forest land non- forest land.	यह बिन्दु आपके स्तर से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में अपने स्तर से वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज को निर्देशित करने की कृपा करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

पत्रांक /1सी0 वन

तददिनांक

पेटी

प्रतिलिपि- वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग रेंज, नन्दप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि वृक्षों की सूची वैज्ञानिक नाम सहित बिन्दु संख्या 4 के अनुसार नाप भूमि एवं सिविल भूमि के अनुसार पृथक तैयार कर प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर को प्रेषित करने के साथ-साथ इस कार्यालय को भी सूचित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता षष्ठम निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर को सूचनार्थ प्रेषित।

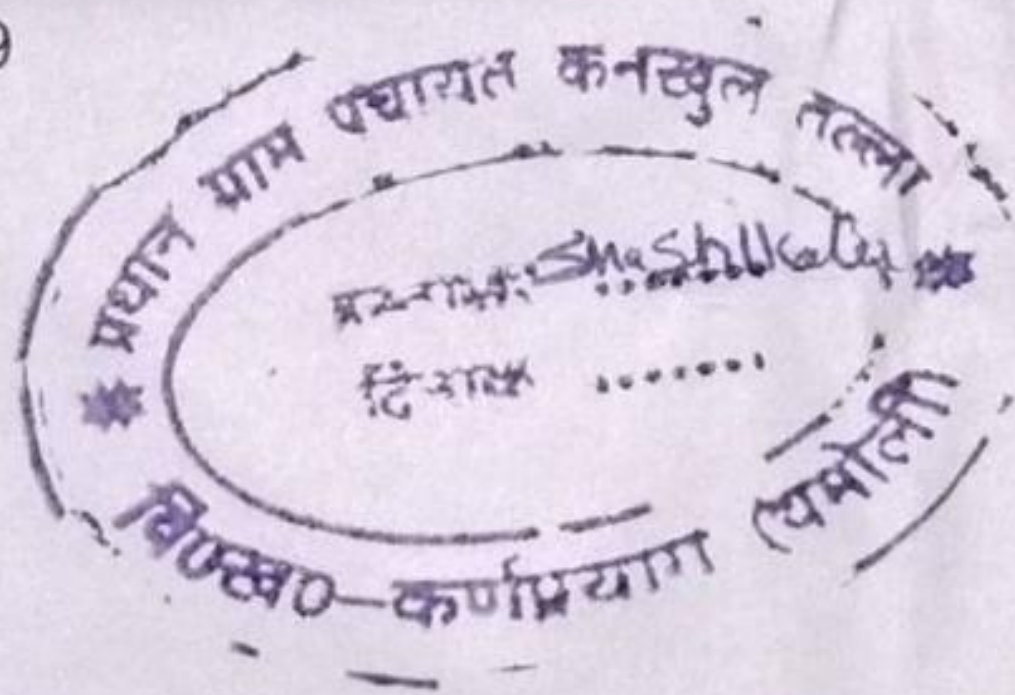
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर

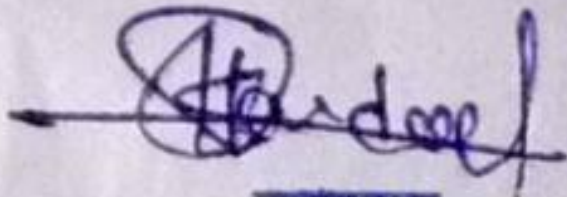
मक डिस्पोजल हेतु आपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड-डिडोली-रिखतोली मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु मक डिम्पिंग हेतु कोई भी कास्तकार अपनी नाप भूमि देने को सहमत नहीं है।

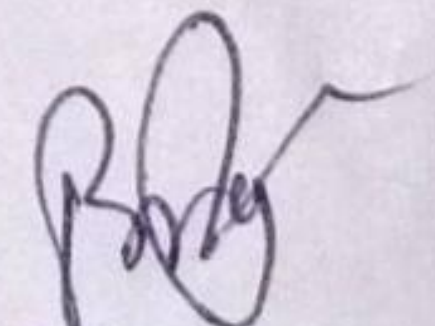
मकडिम्पिंग हेतु कास्तकारों द्वारा अपनी नाप/निजी भूमि देने के लिये आपत्ति है।

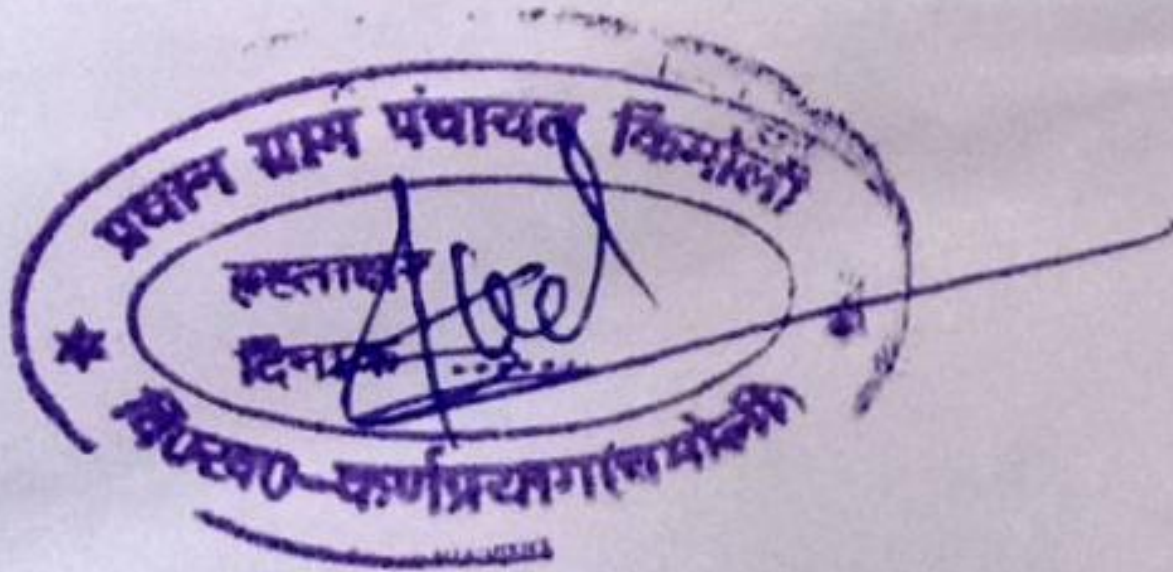
दिनांक 10.7.2019

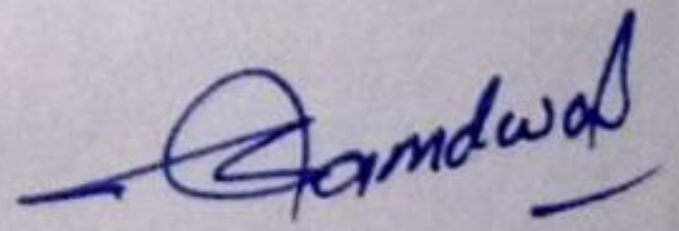



सदस्य

क्षेत्र पंचायत कनखुल
वि० ख० कर्णप्रयाग


सदस्य
क्षेत्र पंचायत कनखुल
वि० ख० कर्णप्रयाग




सदस्य

क्षेत्र पंचायत बणसोली
वि० ख० कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रारूप

परियोजना का ऑनलाईन प्रस्ताव सं०— FP/UK/Road/62388/2020

परियोजना / प्रस्ताव का नाम, जनपद नाम—जनपद चमोली में ग्वाड़ डिहोली—रिखतोली किमोली मोटर मार्ग का निर्माण

परियोजना का क्षेत्रफल (है० में) — 2.20 है०

प्रयोक्ता एजेन्सी का नाम व पता— प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग।

वन प्रभाग का नाम व पता— खटीलाख वन प्रभाग नैनेश्वर।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वन भूमि प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 4.4 है० भूमि ग्राम ग्वाड़ के खसरा नं० 1469 में अधोहस्ताक्षरी एवं वन क्षेत्राधिकारी नन्दप्रयाग व चन्द्र प्रकाश, वन दरोगा द्वारा दिनांक 13.08.2021 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का घनत्व 0.4 से कम है तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र वनाच्छादित नहीं है, क्षेत्र में 1000 पौध प्रति है० रोपित हो सकते हैं। अतः उक्त चयनित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

(आशुतोष सिंह)
प्रभारी वन अधिकारी
खटीलाख वन प्रभाग, नैनेश्वर।
(चमोली)